

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. मिलाई दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/वुर्ग/09/2012-2016.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर 2013—कार्तिक 16, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
रायपुर, दिनांक 1 नवम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 02-03-2006 द्वारा गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निदेश 2006 जारी किये गये हैं.

2. सदियों के संरक्षण एवं रेत खनन से नदी तट को हो सकने वाली संभावित क्षति को ध्यान में रखते हुए नदी के क्षेत्र में रेत के उत्खनन/खनन को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निदेश, 2006 की कंडिका-10 को निम्नलिखित कंडिका-10 के अनुक्रम में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं :-

कंडिका-(10) संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि-

- (क) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5 के तहत प्रतिबंधित स्थानों पर रेत का उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.
- (ख) किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 100 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा.
- (ग) किसी प्राकृतिक जल स्रोत, बांध या जल परिवह करने वाली किसी संरचना से 50 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा.
- (घ) नदी के दोनों तट से 03 मीटर के भीतर रेत का उत्खनन नहीं किया जाएगा.
- (ङ) सतह से 03 मीटर की गहराई अथवा नदी में बेडरॉक (Bed rock) तक ही रेत का उत्खनन किया जाएगा. उसके नीचे रेत का उत्खनन नहीं किया जाएगा.

3. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव,